ikDdFku

भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 2010–11 से 2013–14 की अवधि के चार वर्षों के लिए ''नियंत्रणमुक्त फॉस्फेट और पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम अन्तर्विष्ट हैं।

अप्रैल 2010 में, उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने तत्कालीन ''रियायत योजना'' को असफल कर देने वाली समस्याओं के निवारण के उद्देश्य से नियन्त्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति का प्रारम्भ किया।

भारतीय अर्थव्यवस्था में उर्वरक उद्योग के महत्व, निरंतर बढ़ता राजसहायता बिल और पूर्ववर्ती योजना पर विपरीत प्रभाव डालने वाली समस्याओं के निवारण के दृष्टिकोण से, एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन ने इसे एक महत्वपूर्ण योजना बना दिया। निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की गई थी कि योजना के उद्देश्य प्राप्त हो गये थे।